भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4654

24.03.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

एन.आर.आई. के लिए बीमा योजना

4654. श्री अरविंद धर्मापुरी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों विशेष रूप से खाड़ी देशों में रह रहे अनिवासी भारतीयों (एन.आर.आई.) के लिए व्यापक बीमा योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार एन.आर.आई. के लाभ के लिए ऐसी बीमा योजना तैयार करना चाहती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (ग) भारतीय प्रवासी कामगारों को बीमा सुरक्षा प्रदान करने हेतु 2003 में प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) शुरु की गई थी। इसमें दावों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के साथ-साथ उत्प्रवासी कामगारों को लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

वर्तमान में, प्रवासी भारतीय बीमा योजना खाड़ी देशों सहित उत्प्रवासन जांच अपेक्षित देशों में जाने वाले उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) श्रेणी के सभी कामगारों के लिए अनिवार्य है। इस योजना में 275 रुपए और 375 रुपए के मामूली बीमा प्रीमियम पर क्रमश: दो और तीन वर्ष की अवधि के लिए आकस्मिक मृत्यु या स्थायी निशक्तता के मामले में 10 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा तथा अन्य लाभों का प्रावधान है।

***